अपर सिविल जज(जू0डि0) / जे0एम0, तिलहर, शाहजहॉपुर
परिवाद सं0–203 / 2016

रामसरन बनाम बुधपाल सिंह उर्फ नन्हें लाल आदि।
थाना–खुदागंज।
जिला–शाहजहांपुर।

दिनांक–14.04.2021

पत्रावली पेश हुई। आज पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

संक्षेप में परिवाद कथानक है कि प्रार्थी के गांव के बुधपाल सिंह, चेन्दी सिंह व गब्लू सिंह बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा आये दिन गांव व क्षेत्र में बल्वा करते रहते हैं। दिनांक 06.12.2015 को शाम 04.30 बजे बुधपाल सिह आया और प्रार्थी से बोला कि तूने मेरे कहने से वोट भी नहीं दिया। मुझे शराब पीने के लिए रूपये दे नहीं तो तुझे बहुत मारेंगे। प्रार्थी डर की वजह से घर में घुस गया। पीछे से बुधपाल सिंह भी प्रार्थी के घर में घुस आया तथा प्रार्थी के कई डण्डे मारे और जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत थाना हाजा पर की, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिख गयी। पुलिस ने बुधपाल सिह को थाने बुलाकर डांट दिया। प्रार्थी ने फिर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया। यह बात बुधपाल सिंह को थाना पुलिस द्वारा मालूम हो गयी। इसी बात को लेकर बुधपाल सिंह प्रार्थी से बुराई मानने लगा। दिनांक 25.12.2015 को शाम 07.00 बजे बुधपाल सिंह अपने भाइयों गब्लू सिंह व चेन्दी सिंह उर्फ अनंगपाल सिंह को साथ लेकर प्रार्थी के घर में घुस आया तथा गंदी–गंदी गालियां, जाति सूचक देने लगा। कहा कि धुवेरा मेरी बहुत शिकायतें करता हैं आज तुझे जान से मार डालेंगे तथा इन तीनों लोगों ने तमंचे से फायर किये और वर्तन आदि तोड़ डाले। मना करने पर तीनों उपरोक्त लोगों ने लात–घूसों व लाठी–डण्डों से प्रार्थी को मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर पड़ोसी शिवनन्दन व प्रार्थी का रिश्तेदार इस्माइलपुर नवादा थाना कटरा का लखपति थे। लखपति मेहमानी में आया था। इन लोगों के शोर मचाने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी थाना खुदागंज गया। शिकायत की, तब पुलिस ने कहा कि देख लेगें। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में वाद कथानक का समर्थन किया है तथा उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू0–1 शिवनन्दन एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 लखपत ने अपने बयान अतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में परिवादी के कथन का समर्थन किया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अभियुक्तगण बुधपाल सिंह, चेन्दी सिंह उर्फ अनंगपाल सिंह व गब्लू सिंह द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौज व घर में घुसकर लाठी–डण्डों से मारापीटी, तथा तमंचे से फायर करना बताया गया है, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना बताया गया। अतः इस आधार पर विपक्षीगण **बुधपाल सिंह, चेन्दी सिंह उर्फ अनंगपाल सिंह व गब्लू सिंह** को **धारा–324,504 भा0द0सं0** में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **बुधपाल सिंह, चेन्दी सिंह उर्फ अनंगपाल सिंह व गब्लू सिंह** को अतर्गत **धारा–324,504 भा0द0सं0** में तलब किया जाता है। अभियुक्तगण जरिये समन दिनांक–20.05.2021 के लिए तलब हो।

अपर सिविल जज(जू0डि0) / जे0एम0,
तिलहर, शाहजहाँपुर।